पश्चिम मध्य रेलवे

बुलावा पत्र

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक
कार्मिक शाखा, भोपाल

क्रमांक:पमरे/का.भो/136/1/एक्ट.अप्रै./भर्ती/2018–19

दिनांक 22/08/2019

विषय:– भोपाल मंडल में एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं **(10th + ITI)** की विभिन्न ट्रैडो की प्रोविजनल चयन नामिका जिन्हें **टीआरएस एवं डीजल शेड, इटारसी विभाग** आवंटित किया गया है, का बुलावा पत्र ।

संदर्भ:– इस कार्यालय का पत्रांक पमरे/का.भो/136/1/एक्ट.अप्रै./भर्ती. दि. 28/12/18 विज्ञापन क्र 01/2018–19 के द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 09.07.2019, 06.08.2019

संदर्भित पत्र द्वारा जारी विज्ञप्ति के संदर्भ में ऑनलाइन प्राप्त आवदेन पत्रों के अनुसार उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार प्रमाण पत्रों के सत्यापन/स्क्रीनिंग के लिए दि. 22/04/2019 से 10/05/2019 तक विभिन्न तिथियों में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भोपाल में बुलाया गया था । सक्षम अधिकारी द्वारा नामित स्क्रीनिंग समिति द्वारा उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं । तदुपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संदर्भित पत्र में जिन उम्मीदवारों को उपयुक्तता, रिक्तियों एवं मेरिट के अनुसार एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु प्रोविजनल रूप से नामिका पर रखा गया है उनमें से **जिन अभ्यार्थियों को टीआरएस एवं डीजल शेड, इटारसी विभाग आवंटित किया गया है उनकी सूची विभागवार बेवसाईट www.mponline.gov.in पर है ।**

यदि उम्मीदवार प्रशिक्षण की प्रकिया के दौरान उक्त अधिसूचना में लागू नियम व शर्तों के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं करता है तो उसका प्रशिक्षण स्वतः निरस्त माना जाएगा एवं किसी भी अभिप्रेत गलती के लिए प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा

उम्मीदवारों को रेल विभाग में संबंधित ट्रेड में केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नामिका जारी की गई है। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षुओं को रेल सेवा में नियमित नियुक्ति का दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

1 जिन उम्मीदवारों के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी रिमार्क दिया गया है उन्हें प्रशिक्षण से पूर्व आवश्यक रूप से इस कार्यालय में जमा करना होगा ।

2. संबंधित मूल दस्तावेज जैसे हाईस्कूल, संबंधित आईटीआई, एनसीवीटी/एससीवीटी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक एवं 4 पासपोर्ट साइज फोटो तथा सभी दस्तावेजों का एक सेट स्वहस्ताक्षरित फोटो कापी साथ लावें व बुलावा पत्र व प्रिन्ट आदि

3. ट्रेनिंग के दौरान रहने, खाने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

4. ट्रेनिंग के दौरान नियमानुसार निर्धारित दर से स्टाईफंड देय होगा ।

5. ट्रेनिंग के बाद रेल सेवा में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है । एक वर्ष की ट्रेनिंग अवधि पूर्ण होने पर इनका ट्रेनिंग का करार स्वयं ही समाप्त हो जाएगा ।

6. **उम्मीदवार अपना नाम, ट्रेड एवं उपस्थित होने की तिथी जो बेवसाईट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है उसमें अपने नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथी को देखे एवं उसी निर्धारित तिथी में प्रातः 10:00 बजे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कार्मिक शाखा भोपाल में उपस्थित होवें ।**

Sd/- 22/08/19

कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
प.म.रेल,भोपाल.

C1

W.C.R.